सत्यमेव जयते

राजस्थान राज–पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
चैत्र 25, शुक्रवार, शाके 1933–अप्रेल 15, 2011 *Chaitra 25, Friday, Saka 1933–April 15, 2011*	

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप–2)

अधिसूचना

जयपुर, अप्रेल 15, 2011

संख्या प. 2 (18) विधि/2/2011.–राजस्थान राज्य विधान–मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 11 अप्रेल, 2011 को प्राप्त हुई, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:–

राजस्थान वित्त अधिनियम, 2011

(2011 का अधिनियम संख्यांक 15)

[राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 11 अप्रेल, 2011 को प्राप्त हुई]

वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए राज्य सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी करने के लिए राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003, राजस्थान मनोरंजन और विज्ञापन कर अधिनियम, 1957, राजस्थान विद्युत् (शुल्क) अधिनियम, 1962, राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998, राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950, राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 और राजस्थान स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1954 को और संशोधित करने और कतिपय अन्य उपबंध करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम.-इस अधिनियम का नाम राजस्थान वित्त अधिनियम, 2011 है।

2. 1958 के राजस्थान अधिनियम सं. 23 की धारा 3 के अधीन घोषणा.-राजस्थान अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम सं. 23) की धारा 3 के अनुसरण में, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि लोकहित में यह समीचीन है कि इस विधेयक के खण्ड 7,22,24,28 और 29 के उपबन्ध उक्त अधिनियम के अधीन तुरंत प्रभावी होंगे।

अध्याय 2
राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 में संशोधन

3. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 2 का संशोधन.-राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4), जिसे इस अध्याय में आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में,-

(i) खण्ड (26) के विद्यमान उप-खण्ड (घ) के पश्चात्, और विद्यमान स्पष्टीकरण के पूर्व, निम्नलिखित नया उप-खण्ड अन्त:स्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(ङ) कोई भी ऐसा भाण्डागार, रेलवे स्टेशन, रेलवे माल यार्ड, पार्सल कार्यालय, या कोई अन्य स्थान जहां कारबार के अनुक्रम में या अन्यथा परिवहन के लिए व्यवहारियों द्वारा माल रखा जाता है;"; और

(ii) विद्यमान खण्ड (44) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(44) "संकर्म संविदा" से किसी संकर्म, जिसमें किसी जंगम या स्थावर संपित्त का संमजन, सन्निर्माण, निर्माण, परिवर्तन, विनिर्माण, प्रसंस्करण, गढ़ना, खड़ा करना, स्थापित करना, सुसज्जीकरण, सुधार, मरम्मत या कमीशन किया जाना सम्मिलित है, के क्रियान्वयन की संविदा अभिप्रेत है;"।

4. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 3 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (2) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "पचास लाख रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "साठ लाख रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी।

5. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 4 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (7) में, विद्यमान परन्तुक के अन्त में आये विद्यमान विराम चिह्न "।" के स्थान पर विराम चिह्न ":" प्रतिस्थापित किया जायेगा और इस प्रकार संशोधित विद्यमान परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित नया परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात् :-

"परन्तु यह और कि ऐसा व्यवहारी, जो इस उप-धारा के अधीन कर के संदाय का विकल्प देता है, इस उप-धारा के अन्तर्गत आने वाले माल के उसके द्वारा किये गये किसी विक्रय के बारे में माल की मात्रा के संबंध में अपने कर दायित्व की संगणना के प्रयोजन के लिए कोई व्यापार बट्टा या प्रोत्साहन अनुज्ञात नहीं करेगा।"।

6. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 15 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 15 की उप-धारा (1) में, अन्त में आये विद्यमान विराम चिह्न "।" के स्थान पर विराम चिह्न ":" प्रतिस्थापित किया जायेगा और तत्पश्चात् निम्नलिखित नया परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात् :-

"परन्तु केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी विभाग या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी पब्लिक सेक्टर उपक्रम, निगम या कंपनी द्वारा इस धारा के अधीन कोई भी प्रतिभूति दी जानी अपेक्षित नहीं होगी।"।

7. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 18 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 18 में,-

(i) उप-धारा (1) के विद्यमान खण्ड (छ) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(छ) छूट-प्राप्त माल से भिन्न माल के विनिर्माण में पूंजीगत माल के रूप में राज्य में उपयोग किये जाने,-";

(ii) उप-धारा (3) के विद्यमान खण्ड (ii) के पश्चात् और विद्यमान खण्ड (iii) के पूर्व, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"(iiक) ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी से, जो प्रथम बिन्दु पर कर संदत्त करता है, विक्रयों की आवली में प्रथम बिन्दु पर कराधेय माल के;

स्पष्टीकरण.-इस खण्ड के प्रयोजन के लिए "विक्रयों की आवली में के प्रथम बिन्दु" से किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी द्वारा राज्य में प्रथम विक्रय अभिप्रेत है; या"; और

(iii) विद्यमान उप-धारा (3) के पश्चात् और विद्यमान उप-धारा (4) के पूर्व निम्नलिखित नयी उप-धारा अन्त:स्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"(3क) इस अधिनियम में किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी, जहां राज्य में क्रय किये गये किसी माल का सहायताप्राप्त कीमत पर तत्पश्चात् विक्रय किया जाता है तो ऐसे माल के संबंध में इस धारा के अधीन अनुज्ञेय आगत कर ऐसे माल पर संदेय निर्गत कर से अधिक नहीं होगा।"।

8. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 21 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 21 की उप-धारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"(1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी इस अधिनियम के अधीन अपने दायित्व का निर्धारण करेगा और ऐसी कालावधि के लिए, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से और ऐसे समय के भीतर जो, विहित किया जाये और विवरणी को विलम्ब से दिये जाने के लिए पचास हजार रूपये से अनधिक की यथाविहित विलम्ब

फीस के साथ, निर्धारण प्राधिकारी को या आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को विवरणी देगा।"।

9. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 25 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 25 की विद्यमान उप-धारा (4) के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अन्त:स्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"**स्पष्टीकरण.-** इस धारा के प्रयोजन के लिए अभिव्यक्ति "मामला बनाने की तारीख से" से वह तारीख अभिप्रेत है जिसको किसी व्यवहारी को इस धारा के अनुसरण में प्रथम बार कोई नोटिस जारी किया जाता है।"।

10. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 38 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 38 की उप-धारा (4) में विद्यमान परन्तुक के अन्त में आये विद्यमान विराम चिह्न "।" के स्थान पर विराम चिह्न ":" प्रतिस्थापित किया जायेगा और इस प्रकार संशोधित विद्यमान परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित नया परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात् :-

"परन्तु यह और कि केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी विभाग या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी पब्लिक सेक्टर उपक्रम, निगम या कंपनी द्वारा इस धारा के अधीन कोई भी प्रतिभूति दी जानी अपेक्षित नहीं होगी।"।

11. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 53 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 53 में,-

(i) उप-धारा (1) का विद्यमान परन्तुक हटाया जायेगा; और

(ii) विद्यमान उप-धारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"(4) इस अधिनियम के अधीन प्रतिदेय कोई रकम उस तारीख से, जिसको वह देय हो जाती है, तीस दिवस के भीतर-भीतर प्रतिदत्त कर दी जायेगी और यदि ऐसी रकम उपरोक्त तीस दिवस की कालावधि के भीतर-भीतर प्रतिदत्त नहीं की

जाती है तो उस पर, उपरोक्त कालावधि की समाप्ति की तारीख से संदाय की तारीख तक, ऐसी दर पर, जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाये, ब्याज देय होगा।"।

12. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 58 का हटाया जाना.-मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 58 हटायी जायेगी।

13. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 80 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 80 में,-

(i) पार्श्व में आयी विद्यमान अभिव्यक्ति "प्रमाणपत्र प्राप्त करने और" हटायी जायेगी;

(ii) विद्यमान उप-धारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"(1) ऐसा कोई निकासी या अग्रेषण अभिकर्ता, जो अपने कारबार के अनुक्रम में, कर के दायी माल के किसी परेषण की बुकिंग या परिदान लेने के लिए अपनी सेवाएं देता है या कर के दायी माल से संबंधित हक के किसी दस्तावेज को संभालता है, ऐसे सहायक आयुक्त या, यथास्थिति, वाणिज्यिक कर अधिकारी को, जिसकी प्रादेशिक अधिकारिता में वह अपने कारबार का संचालन करता है, अपने कारबार के स्थान के बारे में ऐसे समय के भीतर, ऐसे प्ररूप में, और ऐसी रीति से, सूचना देगा, जो विहित की जाये।"।

14. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 83 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 83 की उप-धारा (7) के अन्त में आये विद्यमान विराम चिह्न "।" के स्थान पर विराम चिह्न ":" प्रतिस्थापित किया जायेगा और तत्पश्चात् निम्नलिखित नया परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात् :-

"परन्तु यह और कि केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी विभाग या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी पब्लिक सेक्टर उपक्रम, निगम या कंपनी द्वारा इस धारा के अधीन कोई भी प्रतिभूति दी जानी अपेक्षित नहीं होगी।"।

15. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 में नयी धारा 97ख का अन्त:स्थापन.-मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 97क के पश्चात् और विद्यमान धारा 98 के पूर्व निम्नलिखित नयी धारा अन्त:स्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"**97ख. शक्तियों का प्रत्यायोजन.-**राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निदेश दे सकेगी कि ऐसी शर्तों, यदि कोई हों, के अध्यधीन रहते हुए, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जायें, इस अधिनियम के अधीन निर्धारण प्राधिकारी द्वारा प्रयोग की जाने वाली किसी शक्ति का प्रयोग राज्य सरकार के ऐसे अधिकारी द्वारा किया जा सकेगा, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाये।"।

अध्याय 3

राजस्थान मनोरंजन और विज्ञापन कर अधिनियम, 1957 में संशोधन

16. 1957 के राजस्थान अधिनियम सं. 24 की धारा 3 का संशोधन.-राजस्थान मनोरंजन और विज्ञापन कर अधिनियम, 1957 (1957 का अधिनियम सं. 24), जिसे इस अध्याय में आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 3 में,-

(i) विद्यमान खण्ड (5) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा और 25-2-2008 से प्रतिस्थापित किया गया समझा जायेगा, अर्थात्:-

"(5) "मनोरंजन" के अंतर्गत निम्नलिखित है,-

(i) कोई प्रदर्शनी (प्रदर्शन), करतब, आमोद-प्रमोद, क्रीड़ा या खेल-कूद जिनमें व्यक्तियों को प्रवेश संदाय किये जाने पर दिया जाता है;

(ii) ग्राहक को केबल सेवा प्रदान करना;

(iii) डायरेक्ट टू होम प्रसारण सेवा प्रदान करना;"; और

(ii) खण्ड (6) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "धारा 4" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "के अधीन उद्ग्रहीत" के पूर्व अभिव्यक्ति ",4कक और 4ककक" अन्त:स्थापित की जायेगी; और अभिव्यक्ति "4कक" 26-3-1999 से अन्त:स्थापित की गयी समझी जायेगी और

अभिव्यक्ति "4ककक" 25-2-2008 से अन्त:स्थापित की गयी समझी जायेगी।

17. 1957 के राजस्थान अधिनियम सं. 24 की धारा 5 का संशोधन.-मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 5 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा और 26-3-99 से प्रतिस्थापित किया गया समझा जायेगा, अर्थात्:-

"**5. कर के संदाय की रीति.-**(1) इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन मनोरंजन कर ऐसी रीति से और ऐसे समय के भीतर जो विहित किया जाये, उद्ग्रहीत, संगणित और संदत्त किया जायेगा।

(2) मनोरंजन कर स्वत्वधारी द्वारा देय और उससे वसूलीय होगा।

(3) स्वत्वधारी ऐसी विवरणियां ऐसे प्राधिकारी को ऐसी रीति से और ऐसी कालावधि के भीतर भेजेगा जो विहित की जाये।"।

18. 1957 के राजस्थान अधिनियम सं. 24 की धारा 5ख का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 5ख की उप-धारा (2) में विद्यमान अभिव्यक्ति ", धारा 4, 4क" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "और 6क" के पूर्व अभिव्यक्ति ",4कक, 4ककक" अन्त:स्थापित की जायेगी; तथा अभिव्यक्ति "4कक" 26-3-1999 से अन्त:स्थापित की गयी समझी जायेगी और अभिव्यक्ति "4ककक" 25-2-2008 से अन्त:स्थापित की गयी समझी जायेगी।

19. 1957 के राजस्थान अधिनियम सं. 24 की धारा 9-क का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 9-क के खण्ड (क) में विद्यमान अभिव्यक्ति "धारा 4, 4क" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "या 6-क" के पूर्व अभिव्यक्ति ",4कक, 4ककक" अन्त:स्थापित की जायेगी; और अभिव्यक्ति "4कक" 26-3-1999 से अन्त:स्थापित की गयी समझी जायेगी और अभिव्यक्ति "4ककक" 25-2-2008 से अन्त:स्थापित की गयी समझी जायेगी।

20. कतिपय बातों, कार्रवाइयों, आदेशों इत्यादि का विधिमान्यकरण.-किसी न्यायालय, बोर्ड या अन्य प्राधिकारी के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से पूर्व की गयी समस्त बातें, की गयी कार्रवाईयां या किये गये आदेश, जहां तक वे इस अधिनियम के उपबंधों से संगत हैं, मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन की गई बातें, की गयी कार्रवाइयां या किये गये आदेश समझे जायेंगे मानो कि इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबंध उस समय प्रवृत्त थे जब ऐसी बातें, कार्रवाइयां की गयीं या आदेश किये गये थे।

अध्याय 4

राजस्थान विद्युत् (शुल्क) अधिनियम, 1962 में संशोधन

21. 1962 के राजस्थान अधिनियम सं. 12 की धारा 3 का संशोधन.-राजस्थान विद्युत् (शुल्क) अधिनियम, 1962 (1962 का अधिनियम सं. 12), जिसे इस अध्याय में आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 3 के विद्यमान परन्तुक के खण्ड (3) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"(3) जब राज्य सरकार का यह मत हो कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे निबंधनों, शर्तों और निर्बंधनों पर, जो अधिसूचना में अधिकथित किये जायें-

(क) (i) उपभोक्ता द्वारा किसी भी उद्योग में माल के विनिर्माण, उत्पादन, प्रसंस्करण या मरम्मत में;

(ii) किसी व्यक्ति द्वारा उसके स्वयं के उपयोग या उपभोग करने के लिए ऊर्जा के उत्पादन में;

(iii) खान अधिनियम, 1952 (1952 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 35) में यथा परिभाषित किसी भी खान द्वारा या उसके संबंध में-

उपभुक्त ऊर्जा पर विद्युत् शुल्क को,

(ख) लोक मार्गों पर प्रकाश के प्रयोजनार्थ या उसके संबंध में किसी नगरपालिका, पंचायती राज संस्थाओं या अन्य किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा या उसके संबंध में उपभुक्त ऊर्जा पर विद्युत् शुल्क को,

(ग) उपभोक्ताओं के ऐसे अन्य वर्ग द्वारा, जिसे राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाये, उपभुक्त ऊर्जा पर विद्युत् शुल्क को,

चाहे भविष्यलक्षी प्रभाव से या भूतलक्षी प्रभाव से कम कर सकती है या उसमें छूट दे सकती है, तथापि, खण्ड (क) के मामले में इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए कि इस प्रकार की गयी कोई कमी या छूट वाणिज्यिक या निवासीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किसी भी परिसर के संबंध में लागू नहीं होगी।"।

22. 1962 के राजस्थान अधिनियम सं. 12 की धारा 3ग का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "दस पैसे" के स्थान पर अभिव्यक्ति "पन्द्रह पैसे" प्रतिस्थापित की जायेगी।

अध्याय 5

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 में संशोधन

23. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 2 का संशोधन.-राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं.14), जिसे इस अध्याय में आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में,-

(i) विद्यमान खण्ड (viii-क) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

''(viii-क) "मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी'' से राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का

अधिनियम सं.4), की धारा 88 के अधीन गठित राजस्थान कर बोर्ड अभिप्रेत है;";

(ii) खण्ड (xi) के विद्यमान उप-खण्ड (iv) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(iv) कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 1) की धारा 394 के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, "; और

(iii) अंत में आयी विद्यमान अभिव्यक्ति ''(xxxvi) "स्टाक एक्सचेंज" से" के स्थान पर अभिव्यक्ति ''(xxxvii) "स्टाक एक्सचेंज" से" प्रतिस्थापित की जायेगी और सदैव से प्रतिस्थापित की हुई समझी जायेगी।

24. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 3-क का अन्त:स्थापन.-मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 3 के पश्चात् और विद्यमान धारा 4 के पूर्व निम्नलिखित नयी धारा अन्त:स्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"**3-क. अधिभार से प्रभार्य कतिपय लिखतें.-**(1) स्थावर सम्पत्ति के हस्तांतरण-पत्र, विनिमय, दान, बंदोबस्त, विभाजन, विक्रय के करार, प्रशमन, बंधक, निर्मोचन, मुख्तारनामे और पट्टे की समस्त लिखतें और किसी संप्रवर्तक या किसी विकासकर्ता को, चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाये, अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3 के अधीन शुल्क से प्रभार्य किसी भी स्थावर सम्पति पर संनिर्माण या विकास के लिए प्राधिकार या अधिकार दिये जाने से संबंधित करार या करार का ज्ञापन, ऐसी दर पर अधिभार से प्रभार्य होंगे, जो इस अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3 के अधीन ऐसी लिखतों पर प्रभार्य शुल्क के 10 प्रतिशत से अधिक न हो, जो राज्य सरकार द्वारा, आधारभूत अवसंरचना प्रसुविधाओं जैसे रेल या सड़क परिवहन प्रणाली, संचार प्रणाली, ऊर्जा वितरण प्रणाली, मलवहन प्रणाली, जल-निकास प्रणाली या राज्य के किसी भी क्षेत्र में काम आने वाली ऐसी अन्य

जन-उपयोगिताओं, और नगरपालिकाओं और पंचायती राज संस्थाओं के वित्तपोषण के लिए, अधिसूचित की जाये।

(2) उप-धारा (1) के अधीन प्रभार्य अधिभार, धारा 3 के अधीन प्रभार्य किसी शुल्क के अतिरिक्त होगा।

(3) उप-धारा (1) में यथा उपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम के उपबंध, उप-धारा (1) के अधीन प्रभार्य अधिभार के संबंध में उस सीमा तक लागू होंगे, जहां तक वे धारा 3 के अधीन प्रभार्य शुल्क के संबंध में लागू होते हैं।"।

25. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की अनुसूची में संशोधन.-मूल अधिनियम की अनुसूची के अनुच्छेद 21 के खण्ड (iii) में विद्यमान अभिव्यक्ति "उच्च न्यायालय के अधीन आदेश से कम्पनियों के समामेलन से" के स्थान पर अभिव्यक्ति "आदेश से" प्रतिस्थापित की जायेगी।

अध्याय 6

राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 में संशोधन

26. 1950 के राजस्थान अधिनियम सं. 2 की धारा 9 का संशोधन.-राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 (1950 का अधिनियम सं. 2), जिसे इस अध्याय में आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 9 की विद्यमान उप-धारा (1क) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"(1क) राज्य सरकार निम्नलिखित अधिकारियों के रूप में ऐसे और इतने अन्य व्यक्तियों को भी नियुक्त कर सकेगी जैसे और जितने वह ठीक और आवश्यक समझे:-

(i) संयुक्त आबकारी आयुक्त;

(ii) उप आबकारी आयुक्त;

(iii) जिला आबकारी अधिकारी;

(iv) सहायक आबकारी अधिकारी;

(v) अन्य आबकारी अधिकारी।"।

27. 1950 के राजस्थान अधिनियम सं. 2 की धारा 57 का संशोधन.-मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 57 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"**57. विधि-विरुद्ध आयातित किसी आबकारी योग्य वस्तु को कब्जे में रखने के लिए शास्ति.-**जो कोई भी विधि-युक्त प्राधिकार के बिना किसी भी आबकारी योग्य वस्तु का, यह जानते हुए कि उसका विधि-विरुद्ध आयात, परिवहन, विनिर्माण, उसकी खेती या संग्रह किया गया है, या यह तथ्य जानते हुए कि उस पर विहित शुल्क संदत्त नहीं किया गया है, अपने कब्जे में रखता है, वह ऐसी अवधि के कारावास से, जो छह मास से कम नहीं होगी किन्तु जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी, और बीस हजार रुपये या आबकारी शुल्क की हानि के पांच गुने तक, इनमें से जो भी अधिक हो, के जुर्माने से दंडनीय होगा:

परन्तु यदि अपराध का पता लगने के समय या उसके दौरान पायी गयी लिकर की मात्रा पचास बल्क लीटर से अधिक हो तो ऐसे अपराध का दोषी व्यक्ति ऐसी अवधि के कारावास से, जो तीन वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी और बीस हजार रुपये के जुर्माने या आबकारी शुल्क की हानि के दस गुने, इनमें से जो भी अधिक हो, से दण्डनीय होगा।"।

अध्याय 7

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 में संशोधन

28. 1951 के राजस्थान अधिनियम सं. 11 की धारा 4-घ का संशोधन.-राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11), जिसे इस अध्याय में आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की विद्यमान धारा 4-घ के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"**4-घ ग्रीन कर का उद्ग्रहण.-**(1) इस अधिनियम की धारा 4, 4-ख और 4-ग के अधीन उद्गृहीत कर के अतिरिक्त, वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए विभिन्न उपायों के कार्यान्वयन के प्रयोजन के लिए, नीचे सारणी के स्तंभ (2) में यथा-विनिर्दिष्ट, सड़क पर उपयोग के लिए उपयुक्त ऐसे यानों पर, स्तंभ (3) में यथा-विनिर्दिष्ट ऐसे समय पर, इस सारणी के स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट अधिकतम दरों से अनधिक ऐसी दरों पर, जो राज्य

सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत की जाये, "ग्रीन कर" के नाम से एक उपकर उद्गृहीत और संगृहीत किया जायेगा।

सारणी

क्रम सं.	यान का वर्ग	समय	उपकर की अधिकतम दर (रूपये में)
1	2	3	4
1.	गैर-परिवहन यान (क) दुपहिया (ख) दुपहिया से भिन्न	मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 59) की धारा 41 के अधीन रजिस्ट्रीकरण या धारा 47 के अधीन सुपुर्दगी के समय और तत्पश्चात् मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 59) की धारा 41 की उप-धारा (10) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के नवीनीकरण के समय।	750.00 1500.00
2.	परिवहन यान	मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 59) की धारा 41 के अधीन रजिस्ट्रीकरण या धारा 47 के अधीन सुपुर्दगी के समय और तत्पश्चात् मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 59) की धारा 56 के अधीन सही हालत में होने के प्रमाणपत्र के नवीनीकरण के समय।	600.00

(2) इस अधिनियम और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंध, उनको छोड़कर जो कर के प्रतिदाय से संबंधित हैं, जहां तक हो सके, उप-धारा (1) के अधीन संदेय उपकर के अधिरोपण, संदाय, संगणना और वसूली के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे इस अधिनियम के अधीन संदेय कर के अधिरोपण, संदाय, संगणना और वसूली पर लागू होते हैं।"।

29. 1951 के राजस्थान अधिनियम सं. 11 में धारा 4-ङ का अन्त:स्थापन.-मूल अधिनियम की यथापूर्वोक्त संशोधित धारा 4-घ के पश्चात् और धारा 5 के पूर्व निम्नलिखित नयी धारा अन्त:स्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"4-ङ. अधिभार का उद्ग्रहण.-(1) इस अधिनियम की धारा 4, 4-ख और 4-ग में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, उक्त धाराओं के अधीन अधिरोपित कर में, राजस्थान वित्त अधिनियम, 2011 (2011 का अधिनियम सं. 15) के प्रारंभ से, उक्त कर के 20 प्रतिशत से अनधिक, ऐसी दरों पर, जो राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जायें, अधिभार द्वारा वृद्धि की जायेगी।

(2) इस अधिनियम और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंध, जहां तक हो सके, उप-धारा (1) के अधीन संदेय अधिभार के अधिरोपण, संदाय, संगणना, वसूली, छूट और प्रतिदाय के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जैसे कि वे इस अधिनियम के अधीन कर के अधिरोपण, संदाय, संगणना, वसूली, छूट और प्रतिदाय पर लागू होते हैं।"।

अध्याय 8

राजस्थान स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1954 में संशोधन

30. 1954 के राजस्थान अधिनियम सं. 28 में धारा 18 का जोड़ा जाना.-राजस्थान स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1954 (1954

का अधिनियम सं. 28) की विद्यमान धारा 17 के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा जोड़ी जायेगी, अर्थात्:-

"**18. संपरीक्षा रिपोर्ट का रखा जाना.-** निदेशक, उसके द्वारा संपरीक्षित लेखाओं की वार्षिक समेकित रिपोर्ट सरकार को भेजेगा जिसमें ऐसे मामले अंतर्विष्ट होंगे जिन्हें वह सरकार के ध्यान में लाना चाहता है और सरकार, ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने पर, उसे राज्य विधान-मण्डल के समक्ष रखवायेगी।"।

सत्य देव टाक,

प्रमुख शासन सचिव।

LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT

(GROUP-II)

NOTIFICATION

Jaipur, April 15, 2011

No. F. 2 (18) Vidhi/2/2011.- In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of the Rajasthan Rajvittiya Vitt Adhiniyam, 2011 (2011 Ka Adhiniyam Sankhyank 15) :-

(Authorised English Translation)

THE RAJASTHAN FINANCE ACT, 2011

(Act No. 15 of 2011)

[Received the assent of the Governor on the 11th day of April, 2011)

An

Act

further to amend the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003, the Rajasthan Entertainments and Advertisements Tax Act, 1957, the Rajasthan Electricity (Duty) Act, 1962, the Rajasthan Stamp Act, 1998, the Rajasthan Excise Act, 1950, the Rajasthan Motor

Vehicles Taxation Act, 1951 and the Rajasthan Local Fund Audit Act, 1954, in order to give effect to the financial proposals of the State Government for financial year 2011-12 and to make certain other provisions.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-second Year of the Republic of India, as follows:-

CHAPTER I

PRELIMINARY

1. Short title.-This Act may be called the Rajasthan Finance Act, 2011.

2. Declaration under section 3, Rajasthan Act No. 23 of 1958.-In pursuance of section 3 of the Rajasthan Provisional Collection of Taxes Act, 1958 (Act No. 23 of 1958) it is hereby declared that it is expedient in the public interest that provisions of clauses 7, 22, 24, 28 and 29 of this Bill shall have immediate effect under the said Act.

CHAPTER II

AMENDMENT IN THE RAJASTHAN VALUE ADDED TAX ACT, 2003

3. Amendment of section 2, Rajasthan Act No. 4 of 2003.-In section 2 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No. 4 of 2003), hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act,-

(i) after the existing sub-clause (d) and before the existing explanation of clause (26), the following new sub-clause shall be inserted, namely:-

"(e) any warehouse, railway station, railway goods yard, parcel office, or any other place where goods for transportation in the course of

business or otherwise are kept by dealers;"; and

(ii) for the existing clause (44), the following clause shall be substituted, namely:-

"(44) "works contract" means a contract for carrying out any work which includes assembling, construction, building, altering, manufacturing, processing, fabricating, erection, installation, fitting out, improvement, repair or commissioning of any movable or immovable property;".

4. Amendment of section 3, Rajasthan Act No. 4 of 2003.-In sub-section (2) of section 3 of the principal Act, for the existing expression "rupees fifty lacs", the expression "rupees sixty lacs" shall be substituted.

5. Amendment of section 4, Rajasthan Act No. 4 of 2003.-In sub-section (7) of section 4 of the principal Act, for the existing punctuation mark ".", appearing at the end of the existing proviso, the punctuation mark ":" shall be substituted and after the existing proviso, so amended, the following new proviso shall be added, namely:-

"Provided further that a dealer who opts payment of tax under this sub-section shall not allow any trade discount or incentive in terms of quantity of goods in relation to any sale of goods covered under this sub-section, effected by him, for the purpose of calculating his tax liability.".

6. Amendment of section 15, Rajasthan Act No. 4 of 2003.-In sub-section (1) of section 15 of the principal Act, for the existing punctuation mark ".", appearing at the end, the punctuation mark ":" shall be substituted and thereafter the following new proviso shall be added, namely:-

"Provided that no security under this section shall be required to be furnished by a department of the Central Government or the State Government or a public sector undertaking, corporation or company owned or controlled by the Central Government or the State Government.".

7. Amendment of section 18, Rajasthan Act No. 4 of 2003.-In section 18 of the principal Act,-

(i) for the existing clause (g) of sub-section (1), the following shall be substituted, namely:-

"(g) being used in the State as capital goods in manufacture of goods other than exempted goods,";

(ii) after the existing clause (ii) and before the existing clause (iii) of sub-section (3), the following shall be inserted, namely:-

"(iia) of goods taxable at first point in the series of sales, from a registered dealer who pays tax at the first point;

Explanation.-For the purpose of this clause, "first point in the series of sales" means the first sale made by a registered dealer in the State; or"; and

(iii) after the existing sub-section (3) and before the existing sub-section (4), the following new sub-section shall be inserted, namely:-

"(3A) Notwithstanding anything contained in this Act, where any goods purchased in the State are subsequently sold at subsidized price, the input tax allowable under this section in respect of such goods shall not exceed the output tax payable on such goods.".

8. Amendment of section 21, Rajasthan Act No. 4 of 2003.-For the existing sub-section (1) of section 21 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

"(1) Every registered dealer shall assess his liability under this Act, and shall furnish return, for such period, in such form and manner, and within such time and with such late fee not exceeding fifty thousand rupees, for delayed furnishing of returns, as may be prescribed, to the assessing authority or to the officer authorized by the Commissioner.".

9. Amendment of section 25, Rajasthan Act No. 4 of 2003.-After the existing sub-section (4) of section 25 of the principal Act, the following explanation shall be inserted, namely:-

"**Explanation.-**For the purpose of this section the expression "date of making out the case" means the date on which notice in pursuance of this section is issued for the first time to the dealer.".

10. Amendment of section 38, Rajasthan Act No. 4 of 2003.-In sub-section (4) of section 38 of the principal Act, for the existing punctuation mark ".", appearing at the end of the existing proviso, the punctuation mark ":" shall be substituted and after the existing proviso, so amended, the following new proviso shall be added, namely:-

"Provided further that no security under this section shall be required to be furnished by a department of the Central Government or the State Government or a public sector undertaking, corporation or company owned or controlled by the Central Government or the State Government.".

11. Amendment of section 53, Rajasthan Act No. 4 of 2003.-In section 53 of the principal Act,-

(i) in sub-section (1), the existing proviso shall be deleted; and

(ii) for the existing sub-section (4), the following shall be substituted, namely:-

"(4) An amount refundable under this Act shall be refunded within thirty days from the date on which it becomes due and if such amount is not refunded within the aforesaid period of thirty days, it shall carry interest with effect from the date of expiry of the aforesaid period up to the date of payment, at such rate as may be notified by the State Government.".

12. Deletion of section 58, Rajasthan Act No. 4 of 2003.- The existing section 58 of the principal Act shall be deleted.

13. Amendment of section 80, Rajasthan Act No. 4 of 2003.- In section 80 of the principal Act,-

(i) the existing expression "obtain certificate and", appearing in the marginal heading, shall be deleted; and

(ii) for the existing sub-section (1), the following shall be substituted, namely:-

"(1) A clearing or forwarding agent who in the course of his business renders his service for booking or taking delivery of any consignment of goods liable to tax or handles any document of title relating to goods liable to tax, shall furnish information about his place of business to the Assistant Commissioner or the Commercial Taxes Officer, as the case may be, in whose territorial jurisdiction he conducts his business, within such time, in such form and in such manner as may be prescribed.".

14. Amendment of section 83, Rajasthan Act No. 4 of 2003.-In sub-section (7) of section 83 of the principal Act, for the existing punctuation mark ".", appearing at the end, the punctuation mark ":" shall be substituted and thereafter the following new proviso shall be added, namely:-

"Provided that no security under this section shall be required to be furnished by a department of the Central Government or the State Government or a public sector undertaking, corporation or company owned or controlled by the Central Government or the State Government.".

15. Insertion of new section 97B, Rajasthan Act No. 4 of 2003.- After the existing section 97A and before the existing section 98 of the principal Act, the following new section shall be inserted, namely:-

"**97B. Delegation of powers.-** The State Government may, by notification in the Official Gazette, direct that subject to such conditions, if any, as may be specified in the notification, any power exercisable by an assessing authority under this Act may be exercised by such officer of the State Government, as may be specified in the notification.".

CHAPTER III

AMENDMENT IN THE RAJASTHAN ENTERTAINMENTS AND ADVERTISEMENTS TAX ACT, 1957

16. Amendment of section 3, Rajasthan Act No. 24 of 1957.-In section 3 of the Rajasthan Entertainments and Advertisements Tax Act, 1957 (Act No. 24 of 1957), hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act,-

(i) for the existing clause (5), the following shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from 25-2-2008, namely:-

"(5) "entertainment" includes,-

(i) any exhibition (show), performance, amusement, game or sport to which persons are admitted for payment;

(ii) providing cable service to a subscriber;

(iii) providing direct to home broadcasting service;"; and

(ii) in clause (6), after the existing expression "section 4" and before the existing expression "and includes", the expression ", 4AA and 4AAA" shall be inserted; and the expression "4AA" shall be deemed to have been inserted with effect from 26-3-1999 and the expression "4AAA" shall be deemed to have been inserted with effect from 25-2-2008.

17. Amendment of section 5, Rajasthan Act No. 24 of 1957.- For the existing section 5 of the principal Act, the following shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from 26-3-1999, namely:-

"**5. Manner of payment of tax.-**(1) Subject to other provisions of this Act, the entertainment tax shall be levied, calculated, and paid in such manner and within such time as may be prescribed.

(2) The entertainment tax shall be due and recoverable from the proprietor.

(3) The proprietor shall submit such returns, to such authority, in such manner and within such period as may be prescribed.".

18. Amendment of section 5B, Rajasthan Act No. 24 of 1957.-In sub-section (2) of section 5B of the principal Act, after the existing expression "sections 4, 4-A" and before the existing expression "and 6-A", the expression ", 4AA, 4AAA" shall be inserted; and the expression "4AA" shall be deemed to have been inserted with effect from 26-3-1999 and the expression "4AAA" shall be deemed to have been inserted with effect from 25-2-2008.

19. Amendment of section 9-A, Rajasthan Act No. 24 of 1957.-In clause (a) of section 9-A of the principal Act, after the existing expression "section 4, 4-A" and before the existing

expression "or 6-A", the expression ",4AA, 4AAA" shall be inserted; and the expression "4AA" shall be deemed to have been inserted with effect from 26-3-1999 and the expression "4AAA" shall be deemed to have been inserted with effect from 25-2-2008.

20. Validation of certain things, actions, orders etc..-Notwithstanding any judgment, decree or order of any Court, Board or other Authority, all things done, actions taken, or orders made before the date of commencement of this Act, shall, in so far as they are in conformity with the provisions of the principal Act as amended by this Act, be deemed to have been done, or taken, or made under the provisions of the principal Act as if the provisions of principal Act as amended by this Act were in force at the time such things were done, actions taken or orders made.

CHAPTER IV
AMENDMENT IN THE RAJASTHAN ELECTRICITY (DUTY) ACT, 1962

21. Amendment of section 3, Rajasthan Act No. 12 of 1962.-For the existing proviso (3) of section 3 of the Rajasthan Electricity (Duty) Act, 1962 (Act No. 12 of 1962), hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

"(3) Where the State Government is of opinion that it is necessary or expedient in the public interest to do so, it may by notification in the Official Gazette and on such terms, conditions and restrictions as may be laid down in the notification, reduce or remit, whether prospectively or retrospectively,-

(a) the electricity duty on the energy consumed-

(i) by a consumer in any industry in the manufacture, production, processing or repair of goods;

(ii) by a person generating energy for his own use or consumption;

(iii) by or in respect of any mine as defined in the Mines Act, 1952 (Central Act No. 35 of 1952);

(b) the electricity duty on the energy consumed by or in respect of any Municipality or Panchayati Raj Institutions or other local authority, for the purpose or in respect of public street lighting;

(c) the electricity duty on the energy consumed by such other class of consumers as may be prescribed by the State Government,

subject, however, in the case of clause (a), to the condition that any reduction or remission so made shall not be applicable to energy consumed in respect of any premises used for commercial or residential purposes.".

22. Amendment of section 3C, Rajasthan Act No. 12 of 1962.-In sub-section (1) of section 3C of the principal Act, for the existing expression "ten paise", the expression "fifteen paise" shall be substituted.

CHAPTER V

AMENDMENT IN THE RAJASTHAN STAMP ACT, 1998

23. Amendment of section 2, Rajasthan Act No. 14 of 1999.-In section 2 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999), hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act,-

(i) for the existing clause (viii-A), the following shall be substituted, namely:-

"(viii-A) "Chief Controlling Revenue Authority" means Rajasthan Tax Board constituted under section 88 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No. 4 of 2003); ";

(ii) for the existing sub-clause (iv) of clause (xi), the following shall be substituted, namely:-

"(iv) every order made under section 394 of the Companies Act, 1956 (Central Act No. 1 of 1956),"; and

(iii) for the existing expression "(xxxvi) 'stock exchange' means", appearing at the end, the expression "(xxxvii) 'stock exchange' means" shall be substituted and shall be deemed always to have been substituted.

24. Insertion of section 3-A, Rajasthan Act No. 14 of 1999.- After the existing section 3 and before the existing section 4 of the principal Act, the following new section shall be inserted, namely.-

"**3-A. Certain instruments chargeable with surcharge.-**(1) All instruments of conveyance, exchange, gift, settlement, partition, agreement to sale, composition, mortgage, release, power of attorney and lease of immovable property, and agreement or memorandum of an agreement relating to giving authority or power to a promoter or a developer, by whatever name called, for construction on, or development of, any immovable property, chargeable with duty under section 3 read with Schedule to the Act, shall be chargeable with surcharge at such rate not exceeding 10 percent of the duty chargeable on such instruments under section 3 read with Schedule to the Act, as may be notified by the State Government, for the purpose of the development of basic infrastructure

facilities such as rail or road transportation system, communication system, power distribution system, sewerage system, drainage system or any other such public utilities serving any area of the State and for financing Municipalities and Panchayati Raj Institutions.

(2) The surcharge chargeable under sub-section (1) shall be in addition to any duty chargeable under section 3.

(3) Except as otherwise provided in sub-section (1), provisions of this Act shall so far as may be apply in relation to the surcharge, chargeable under sub-section (1) as they apply in relation to the duty chargeable under section 3.".

25. Amendment of the Schedule, Rajasthan Act No. 14 of 1999.-In clause (iii) of the Article 21 of the Schedule of the principal Act, for the existing expression "amalgamation of the companies by the order of the High Court", the expression "the order" shall be substituted.

CHAPTER VI

AMENDMENT IN THE RAJASTHAN EXCISE ACT, 1950

26. Amendment of section 9, Rajasthan Act No. 2 of 1950.-For the existing sub-section (1A) of section 9 of the Rajasthan Excise Act, 1950 (Act No. 2 of 1950), hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

"(1A) The State Government may also appoint such and so many other persons as it thinks fit and necessary to be:-

(i) Joint Excise Commissioner;

(ii) Deputy Excise Commissioner;

(iii) District Excise Officer;

(iv) Assistant Excise Officer;

(v) Other Excise Officers.".

27. Amendment of section 57, Rajasthan Act No. 2 of 1950.-For the existing section 57 of the principal Act, the following shall be substituted, namely :-

"**57. Penalty for possession of excisable article unlawfully imported.-** Whoever, without lawful authority, has in his possession any excisable article, knowing the same to have been unlawfully imported, transported, manufactured, cultivated or collected or knowing the fact that prescribed duty not to have been paid thereon, shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than six months but which may extend to three years and with fine of twenty thousand rupees or five times of the loss of excise duty, which ever is higher:

Provided that if the quantity of liquor found at the time or in the course of detection of the offence exceeds fifty bulk litres, the person guilty for such offence shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than three years but which may extend to five years and with fine of twenty thousand rupees or ten times of the loss of excise duty, which ever is higher.".

CHAPTER VII
AMENDMENT IN THE RAJASTHAN MOTOR VEHICLES TAXATION ACT, 1951

28. Amendment of section 4-D, Rajasthan Act No. 11 of 1951.-For the existing section 4-D of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951 (Act No. 11 of 1951), hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

"**4-D. Levy of Green Tax.-**(1) There shall be levied and collected a cess called "green tax", in addition to the tax levied under sections 4, 4-B and 4-C of the Act, on such

vehicles suitable for use on road as specified in column (2), at such time as specified in column (3), of the table below at such rates, not exceeding the maximum rates specified in column (4) of the table, as may be fixed by the State Government by notification in the Official Gazette, for the purpose of implementation of various measures to control air pollution.

TABLE

S. No.	**Class of the Vehicle**	**Time**	**Maximum rate of cess (in Rupees)**
1	2	3	4
1.	Non-transport vehicle (a) two wheelers (b) other than two wheelers	at the time of registration under section 41, or assignment under section 47 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Central Act No. 59 of 1988) and thereafter at the time of renewal of certificate of registration under sub-section (10) of section 41 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Central Act No. 59 of 1988).	750.00 1500.00
2.	Transport vehicle	at the time of registration under section 41, or assignment under section 47 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Central Act No. 59 of 1988) and thereafter at the time of renewal of fitness certificate under section 56 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Central Act No. 59 of 1988).	600.00 .

(2) The provisions of this Act and the rules made thereunder excluding those relating to refund of tax shall, so far as may be, apply in relation to the imposition, payment, computation and recovery of the cess payable under sub-section (1), as they apply to the imposition, payment, computation and recovery of tax payable under this Act.".

29. Insertion of section 4-E, Rajasthan Act No. 11 of 1951.-After section 4-D, amended as aforesaid, and before section 5 of the principal Act, following new section shall be inserted, namely:-

"**4-E. Levy of Surcharge.–**(1) Notwithstanding anything contained in sections 4, 4-B and 4-C of the Act, the tax imposed by the said sections shall with effect from the commencement of the Rajasthan Finance Act, 2011 (Act No. 15 of 2011) be increased by a surcharge at such rates, not exceeding 20% of the said tax, as may be specified by the State Government by the notification in the Official Gazette.

(2) The provisions of this Act and the rules made thereunder, so far as may be, apply in relation to the imposition, payment, computation, recovery, exemption and refund of the surcharge payable under sub-section (1), as they apply to the imposition, payment, computation, recovery, exemption and refund of tax payable under this Act.".

CHAPTER VIII
AMENDMENT IN THE RAJASTHAN LOCAL FUND AUDIT ACT, 1954

30. Addition of section 18, Rajasthan Act No. 28 of 1954.-after the existing section 17 of the Rajasthan Local Fund

Audit Act, 1954 (Act No. 28 of 1954), the following new section shall be added, namely:-

"**18. Laying of audit report.-**The Director shall send to the Government annually a consolidated report of the accounts audited by him containing such matters which he intends to bring to their notice and the Government shall, after the receipt of the same, cause it to be laid before the State Legislature. ".

सत्य देव टाक,
Principal Secretary to the Government.

30
Government Central Press, Jaipur.